न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—273/2015/223 (2015/00071)

1. मोहनसिंह पुत्र स्व0 भैरू पौत्र लूम्बा, जाति रावत,
2. ज्ञानसिंह पुत्र स्व0 भैरू पौत्र लूम्बा, जाति रावत,
3. श्रीमती रतनी पुत्री स्व0 भैरू पौत्री लूम्बा, जाति रावत,
4. श्रीमती बरजी पुत्री स्व0 भैरू पौत्री लूम्बा, जाति रावत,
   समस्त निवासी ग्राम हाथीखेड़ा, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर , जिला अजमेर ।
2. नगर सुधार न्यास जरिये सचिव, नगर सुधार न्यास, अजमेर, वर्तमान अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिये सचिव/आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर, दिनांक 12.6.2015 अंतर्गत वाद संख्या 146/2007 .

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1 व 2.

निर्णय

दिनांकः—7.1.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.6.2015 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत खातेदार घोषणा, इंद्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा के संदर्भ में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चौसाला खसरा नंबर 326/2 किस्म चाही की भूमि जो ग्राम हाथीखेड़ा तहसील व जिला अजमेर में स्थित है जो कि वादीगण की पुश्तैनी बापोती कृषि भूमि है, मिसल बंदोबस्त खतौनी जमाबंदी 1349 फसली, 1941—1942 की खतौनी जमाबंदी के अनुसार खतौनी नंबर 30 चौसाला खसरा नंबर 326 रकबा 2—7—00 के खातेदार हमीरा पुत्र सद्धा एवं भैरू पुत्र लूम्बा जाति रावत के नाम दर्ज है, चासाला खसरा नंबर 326/1 के खातेदार हमीरा पुत्र सद्धा तथा 326/2 के खातेदार वादीगण के पिता भैरू पुत्र लूम्बा खातेदार थे। चौसाला खसरा नंबर 326 मिन रकबा 1—3—10 चौसाला जमाबंदी संवत् 2015 से 2018 की खतौनी संख्या 486 के खातेदार वादीगण के पिता भैरू दर्ज है तथा अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 के अनुसार भी खतोनी संख्या 385 के चौसाला खसरा नंबर 326/2 रकबा

1–3–10 किस्म चाही के खातेदार वादीगण के पिता भैरू ही दर्ज है, परन्तु वर्किंग जमाबंदी के खसरा नंबर 454 रकबा 1–3–10 बने जिसे भू–प्रबंध विभाग द्वारा भूअभिलेख रिकार्ड पूर्व प्रविष्टि के प्रतिकूल अवैधानिक रूप से सिवायचक दर्ज कर दी । अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर वादीगण को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.6.2015 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि चौसाला खसरा नंबर 326 रकबा 2–7–00 के खातेमदार हमीरा पुत्र सद्धा एवं भैरू0 पुत्र लूम्बा रावत दर्ज है जिसमें से 326/1 हमीरा पुत्र सद्धा की एवं 326/2 रकबा 1–3–10 अपीलांटस के पिता भैरू पुत्र लूम्बा खातेदार थे जिसकी ताईद जमाबंदी संवत् 2015 से 2018 एवं अंतिम जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 से भी होती है परन्तु भू–प्रबंध विभाग ने 326/1 रकबा 1–3–10 बीघा को तो हमीरा पुत्र सद्धा के नाम दर्ज कर दिया किन्तु खसरा नंबर 326/2 रकबा 1–3–10 जिसके वर्तमान खसरा नंबर 454 रकबा 1–3–0 जो कि अपीलांटस के पिता भैरू की खातेदारी की थी जिसे भूप्रबंध विभाग ने गलत तौर पर सिवायचक दर्ज कर दिया । इस संबंध में अधी0न्याया0 के समक्ष प्रदर्श–1 लगायत 15 दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य पेश किये जिसे अधी0.न्याया0 ने नजरअंदाज कर वादीगण को राजस्व कैम्प में बिना सुनवाई का अवसर दिये निरस्त किया है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 को निर्णय व डिक्री कर वादीगण/अपीलांटस को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ।।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज थी एवं जिला कलक्टर, अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 25.2.2004 से नगर सुधार न्यास, अजमेर को हस्तातंरित की है तथा अपीलांटस द्वारा उक्त हस्तातंरण आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनोती देकर निरस्त नहीं कराया है इस कारण अपील संधार योग्य नही होने से निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन भूमि अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 में खसरा नंबर 326/2 रकबा 1–3–10 भैरू पुत्र लूम्बा की खातेदारी मे दर्ज है जिसके नवीन खसरा नंबर 454 रकबा 1–3–0. बने है जो वर्किंग जमाबंदी में सिवायचक दर्ज है । वर्किंग जमाबंदी खसरा नंबर 454 रकबा 1–3–0 बीघा भूमि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश दिनांक 25.2.2004 से नगर सुधार न्यास, अजमेर को हस्तातंरित किये जाने के आदेश पारित किये है जो पत्रावली पर उपलब्ध है । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश दौराने कैम्प पारित किया है जबकि अधी0न्याया0 को प्रकरण में दोनों पक्षों की साक्ष्य ली जाकर गुणावगुण पर प्रकरण को निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर प्रकरण को राजस्व कैम्प में बिना प्रतिवादी की साक्ष्य लिये एवं दस्तावेजी साक्ष्यो को प्रदर्श कराये निर्णित किया है जो अविधिक है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार

योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर का निर्णय व डिक्री दिनांक 12.6.2015 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के क्रम में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणाावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 7.1.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर